

Form no. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर


मनजीत सिंह पुत्र लाभ सिंह जाति खत्री, निवासी 558 गली न. 6 राजापार्क जयपुर तहसील व जिला जयपुर
वनाम

किशन सिंह दुग्गल अजीत सिंह जाति खत्री मार्फत किसान केन्द्र दुकान न. 13 ए घडसाना आदि

किरम मुकदमा:-अपील अ0धा0 75 भू0राज0अधिनियम

प्रकरण सं.- 68/15

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हए
09.06.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री बाबूलाल चाण्डक व रेस्पो0 की ओर से अधिवक्ता श्री सत्यवीर जाखड़ हाजिर। प्रकरण में अपीलांट की दिनांक 23.02.2021 को मृत्यु हो जाने के कारण वकील सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 22 नियम 3 (1) के अनुसरण में प्रकरण वकील अपीलांट को मृतक मनजीत सिंह के वारिसान की सूची पेश करने हेतु पर्याप्त समय दिया गया था। परन्तु वकील अपीलांट द्वारा आज दिनांक तक मृतक मनजीत सिंह के वारिसान की सूची पेश नहीं की गई तथा अपीलांट मनजीत सिंह के वारिसान भी आज दिनांक तक असालतन/वकालतन हाजिर नहीं आये है। अतः ऐसी स्थिति में अपील अबेट होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है।</p> <p>अतः अपील अपीलांट अबेट होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।</p> <p>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p>	


(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ

